छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक..01........वि.स./सं.–29II/2026 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.04...2026

//निविदा विज्ञप्ति//

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की अनुपयोगी फर्नीचर उपकरणों/इलेक्ट्रानिक सामग्रियों, रद्दी साहित्य, कटिंग (श्रेडिंग) पेपर एवं वाहनों के पुराने टायर, ट्यूब/अनुपयोगी स्पेयर पार्टस ''जहॉ है जैसा है'' के आधार पर विक्रय हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि रूपये 8,00,000/– (अक्षरी राशि रूपये आठ लाख मात्र) (LUMP SUM BASIS) के आधार पर विधान सभा सचिवालय सेक्टर–19 अटल नगर नवा रायपुर में प्रतिष्ठित फर्मो से सीलबंद निविदाएं दिनांक 21.05.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

कार्यालयीन समय में प्रत्येक शुक्रवार को जीरो पाइंट रायपुर स्थित पूर्व विधान सभा भवन में सामग्रियों का अवलोकन किया जा सकता है एवं निविदा की शर्तों हेतु नवीन विधान सभा सचिवालय भवन अटल नगर नवा रायपुर की भूतल स्थित संपदा शाखा कक्ष क्रमांक– 09 से संपर्क किया जा सकता है या निविदा की शर्ते विधान सभा की **वेबसाईट www. Cgvidhansabha. gov.in** से डाउनलोड भी की जा सकती है, जिसके शुल्क के रूप में रूपये 1000/– (अक्षरी एक हजार मात्र) विधान सभा सचिवालय की ''लेखा शाखा'' में, निविदा प्रस्ताव जमा करने के पूर्व जमा करना आवश्यक होगा ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

//निविदा विक्रय की शर्ते//

01. निविदाकर्ता फर्म को ''जहां है जैसा है'' के आधार पर अनुपयोगी फर्नीचर उपकरण/इलेक्ट्रानिक सामग्री, रद्दी साहित्य, कटिंग (श्रेडिंग) पेपर एवं वाहनों के पुराने टायर, ट्यूब/अनुपयोगी स्पेयर पार्टस आदि विक्रय हेतु एकमुश्त (LUMP SUM BASIS) के आधार पर प्रस्तुत निविदा मान्य की जावेगी।

02. कार्यालयीन दिवस में दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे सायं 4:00 बजे के मध्य सामग्री का अवलोकन किया जा सकता है ।

03. निविदाकर्ता फर्म को पंजीकृत बैक द्वारा अमानत राशि के रूप में राशि रूपये 25,000/- (अक्षरी रूपये पच्चीस हजार मात्र) की एफ.डी. (सावधि जमा) सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के नाम से देय संलग्न करना होगा।

04. निविदा प्रस्ताव नवीन विधान सभा भवन नवा रायपुर, अटल नगर, भूतल स्थित वित्तीय समिति अधिकारी, संपदा शाखा के कक्ष क्रमांक-09 में दिनांक 21.05.2026 अपरान्ह 3:00 बजे तक जमा किया जा सकता है ।

05. स्वीकृत निविदाकर्ता फर्म को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्वीकृत निविदा राशि का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् ही विधान सभा सचिवालय से अनुमति उपरांत पुराने विधान सभा भवन परिसर से 7 दिवस के भीतर सामग्री का परिवहन स्वयं के व्यय पर करना होगी। विलंब की स्थिति में अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी एवं संबंधित फर्म के प्रस्ताव को निरस्त कर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

06. निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

07. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को मान्य अथवा अमान्य करने का सर्वाधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को होगा।